संख्या–4050 /71–1–2017–जी–243/2017

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

विषयः– **राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों के लिए उपकरणों के कय हेतु ई–प्रोक्योरमेन्ट गवर्नमेण्ट ई–मार्केट के माध्यम से प्रोक्योरमेन्ट एवं उपकरणों की मानकीकृत तकनीकी विशिष्टिताओं के निर्धारण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एम0ई0/पर्चेज/2017/665, दिनॉक 12.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों के लिए उपकरणों के कय हेतु ई–प्रोक्योरमेन्ट GeM (Government e Market place) के माध्यम से प्रोक्योरमेन्ट एवं उपकरणो की मानकीकृत तकनीकी विशिष्टिताओं के निर्धारण के संबंध में आदेश निर्गत करने के संबंध में है।

2– उक्त के संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों के लिए उपकरणों के कय हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुतियों के कम में डा0 अमित अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर निर्गत किये जा रहे है। उपकरणों के कय में निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायः–

(1) राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में उपकरणों के कय हेतु 17 हाई एण्ड उपकरण जो अनुमानित रू0 10.00 लाख से अनुमानित रू0 50.00 लाख मूल्य के अन्तर्गत है, की सूची संलग्नक–1 पर, का कय संलग्न तकनीकी विशिष्टियों के आधार पर किया जाये।

(2) राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में 38 उपकरण, जो अनुमानित रू0 1.00 लाख से 10.00 लाख मूल्य के अन्तर्गत है, की सूची संलग्नक–2 पर है, उक्त उपकरणों को संलग्नं तकनीकी विशिष्टियो के आधार पर कय किया जाये।

(3) राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में उपकरणों के कय हेतु समिति द्वारा निर्धारित तकनीकी विशिष्टियॉ 03 साल तक वैद्य रहेगी। उक्त विशिष्टियों के आधार पर वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में उपकरणों का कय किया जाना सुनिश्चित हो।

(4) डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण कय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।

(5) प्रश्नगत उपकरण का कय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत उपकरणों के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0/संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित निदेशक की होगी।

(6) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।

10359

AD(ME)/BC
28-12-17

(7) राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान में उपकरणों के कय किये जाने में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।

(8) उक्त उपकरणों का कय किये जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें नियमानुसार पूर्ण किये जाने के पश्चात उपकरण कय किये जाय। उपकरणों का कय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करनें के पश्चात ही किया जाय।

(9) राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में उपकरणों के कय में 05 वर्ष की वारण्टी/सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

(10) राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में उपकरणों का कय सर्वप्रथम जैम पोर्टल (GeM Portal) से किया जाए। जैम पोर्टल (GeM Portal) पर उपकरण उपलब्ध न होने पर ई-टेण्डर के माध्यम से तथा जहाँ एस0जी0पी0जी0आई0/के0जी0एम0यू/राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के टेण्डर डाक्यूमेंट उपलब्ध है, उनका प्रयोग कर कय कर लिया जाए। अवशेष उपकरण एस0जी0पी0जी0आई0/के0जी0एम0यू/राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के प्रचलित रेट अनुबन्ध (existing rate contract) से कय कर लिया जाए।

(11) उपकरणों के कय में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के सुसंगत शासनादेश तथा उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) इस सम्बन्ध में राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में उपकरणों के कय हेतु शासनादेश संख्या-3964/-71-1-2017-जी-283/2017, दिनॉक 11.12.2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

संख्या- (1)/71-1-17, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
2. कुलपति, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
3. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, मेरठ, झॉसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, जालौन, कन्नौज, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, बॉदा तथा बदायूँ।
5. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर तथा जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव।